न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 29 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. हमीरसिंह पुत्र माधुसिंह 2. मगसिंह पुत्र माधुसिंह 3. भारसिंह पुत्र माधुसिंह 4. अमेदसिंह पुत्र माधुसिंह 5. भीखकंवर पत्नी माधुसिंह 6. शैतानसिंह पुत्र जबरसिंह 7. मेहताबसिंह पुत्र जबरसिंह 8. कूम्पसिंह पुत्र जबरसिंह 9. मूलसिंह पुत्र जबरसिंह 10. ढेलीकंवर पत्नी जबरसिंह जातियान राजपूत निवासी मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1.वालसिंह पुत्र दानसिंह 2.पदमसिंह पुत्र दानसिंह जातियान राजपूत निवासी मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर। 3.एस.बी.बी.जे. शाखा कवास जरिये शाखा प्रबन्धक। 4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 02 / 2014 बअनवान वालसिंह वगैरा बनाम हमीरसिंह वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2019।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पुरूषोतम सोनी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 15.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा पुरोहितों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 126 रकबा 08.11 बीघा, खसरा संख्या 183 रकबा 168.09 बीघा और मौजा मूढों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 94 रकबा 165.06 बीघा आई हुई है जिसमें अपीलांटगण का 1 / 2 हिस्सा व उतरदाता संख्या 01 से 02 का 1 / 2 हिस्सा है। अपीलांटगण के खेत खसरा संख्या 183 में रहवासी ढाणी बनी हुई है। वक्त सेटलमेंट के समय भू–राजस्व अधिकारियों से दानसिंह पुत्र कोजराजसिंह ने मिलावट कर अपना नाम 1/2 हिस्से में और अपीलांटगण के पूर्वज माधुसिंह व जवारसिंह पिसरान अचलसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज करवा दिया जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गलत दर्ज करवा दिया जबकि खानदानी सजरे के मुताबिक अपीलांटगण 1/2 हिस्सा और उतरदातागण का 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज होना चाहिये था। सेटलमेंट वालों द्वारा की गई गलती व साजिश का अपीलांटगण के पूर्वज माधुसिंह व जवारसिंह उस समय अनपढ व ग्रामीण व्यक्ति होने से कोई ज्ञान नहीं हो सका। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.02.2014 को वाद संख्या 15/2015 अनदान जबरसिंह बनाम हमीरसिंह वगैरह पेश किया और इसके अतिरिक्त अपीलांटगण ने उक्त वाद संख्या 02/2014 में एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सी पी सी के तहत दिनांक 13.02.2014 को पेश किया जो निर्णित नहीं किया गया हैं। उपरोक्त दोनों वाद में पक्षकार एक ही है और वादग्रस्त भूमि का खसरा संख्या भी एक ही है। इस वजह से दोनों वाद अलग–अलग नहीं चले। दोनों वाद को समायोजित करने के लिये उतरदाता संख्या 01 व 02 ने दिनांक 18.11.2014 को आवेदन पेश किया जो आवेदन दिनांक 16.03.2017 को स्वीकार कर उपरोक्त दोनों वादों को समायोजित कर दिये गये। दिनांक 28.12.2017 को उपरोक्त दोनों समायोजित वाद में से हस्तगत वाद संख्या 02/2014 अलग कर प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का आवेदन पेश किया जो आवेदन दिनांक 05.03.2019 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को अलग करते हुए निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05.03.2019 को जारी कर दी। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न ही साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर दिया गया एवं एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने के आवेदन पर निर्णय पारित नहीं किया गया जिस कारण वाद का जबाव दावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.02.2014 को वाद संख्या 15/2015 अनवान जबरसिंह बनाम हमीरसिंह वगैरह पेश किया और इसके अतिरिक्त अपीलांटगण ने उक्त वाद संख्या 02/2014 में एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सी पी सी के तहत दिनांक 13.02.2014 को पेश किया जो निर्णित नहीं किया गया हैं। उपरोक्त दोनों वाद में पक्षकार एक ही है और वादग्रस्त भूमि का खसरा संख्या भी एक ही है। इस वजह से दोनों वाद अलग–अलग नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

चले। दोनों वाद को समायोजित करने के लिये उतरदाता संख्या 01 व 02 ने दिनांक 18.11.2014 को आवेदन पेश किया जो आवेदन दिनांक 16.03.2017 को स्वीकार कर उपरोक्त दोनों वादों को समायोजित कर दिये गये। दिनांक 28.12.2017 को उपरोक्त दोनों समायोजित वाद में से हस्तगत वाद संख्या 02/2014 अलग कर प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का आवेदन पेश किया जो आवेदन दिनांक 05.03.2019 को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को अलग करते हुए निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05.03.2019 को जारी कर दी। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न ही साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर दिया गया एवं एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने के आवेदन पर निर्णय पारित नहीं किया गया जिस कारण वाद का जबाव दावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2019(1) Page 411
RRT 2010(1) Page 181
RRT 2008(1) HC Page 39
RRT 2015(2) Page 1007
DNJ 2008(1)(Raj.) Page 164
RLW 2017(2)(Raj.) Page 1400
RRT 2016(2) Page 1073

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत आदेश **09 नियम 07 सी पी सी** के तहत दिनांक **13.02.2014** को पेश किया जो निर्णित नहीं किया गया। **इस प्रार्थना-पत्र पर वक्त बहस अपीलांट(विप्रार्थीगण) पक्ष की ओर से कोई आपति नहीं जताई गई।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के अनुरूप है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्राथमिक डिक्री में जमाबंदी के अनुसार केवल हिस्सा तय होता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी द्वारा वाद पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को कब्जा काश्त एवं बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:-

DNJ 1995(Raj.) Page 371(एक पक्षीय कार्यवाही को बिना अपास्त कराये प्रार्थी को हक है कि वह मामले की कार्यवाही में भाग लेवे-प्रार्थी बिना कोई आवेदन दिए कार्यवाही में सम्मिलित हो सकेगा।)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

इस नजीर के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता अपीलांट ने समस्त कार्यवाही में भाग लिया।

सर्वप्रथम उभयपक्ष को अवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। जिसके अनुसार रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 15.04.2019 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पेश कर निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त खसरों की खातेदारी वक्त सेटलमेंट सजरा अनुसार दर्ज न होकर कब्जे काश्त अनुसार ही दर्ज की गई थी और माफिक कब्जा काश्त अनुसार ही वादग्रस्त खसरों में 2/3 हिस्सा रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 के पूर्वज दानसिंह का एवं 1/3 हिस्सा अपीलांटगण के पूर्वज माधुसिंह व जवारसिंह का दर्ज किया था और खसरा संख्या 99 रकबा 154.05 बीघा व खसरा संख्या 123. 58.17 बीघा कुल रकबा 213.02 बीघा मौजा बान्दरा वक्त सेटलमेंट माधुसिंह व जवारसिंह का कब्जा काश्त होने से इनकी अकेलो की खातेदारी में दर्ज किया गया था। यदि माधुसिंह व जवारसिंह नाबालिग होते या दानसिंह अपनी खातेदारी में दर्ज करवाता। इसी प्रकार यदि सजरा अनुसार खातेदारी दर्ज होती तो इन खसरों में दानसिंह का नाम भी खातेदारी में आता। इन समस्त तथ्यों से यह साबित है कि अपीलांटगण द्वारा अपील में जो भी आधार लिये गये है वे सारे आधार मनघड़त व बेबुनियाद है। अतः दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के लिखित जबाव में अपीलांटगण ने बताया कि अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा जो खतौनी बंदोबस्त व जमाबंदी पेश की है जो इस वाद में उक्त खसरों का कोई हवाला नहीं है। इस वाद से सम्बन्धित उपरोक्त दस्तावेज नहीं होने से रिकार्ड पर लिया जाना जरूरी नहीं है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया एवं उक्त दस्तावेज माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय में पेश किये है। अधीनस्थ न्यायालय में ऐसे दस्तावेज पेश नहीं किय गये थे। जिस वजह से आज उक्त दस्तावेज के रिब्टल में आज ही दस्तावेज पेश नहीं किया जा सकते है उसके लिए समय दिया जाना आवश्यक है। अतः उतरदाता संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन मय खर्चा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने एवं प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से रेस्पोडेंट पक्ष की इस दलील में बल मिलता है कि खसरा संख्या 99 रकबा 154.05 बीघा व खसरा संख्या 123.58.17 बीघा कुल रकबा 213.02 बीघा मौजा बान्दरा वक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सेटलमेंट माधुसिंह व जवारसिंह का कब्जा काश्त होने से इनकी अकेलो की खातेदारी में दर्ज किया गया था, यदि माधुसिंह व जवारसिंह नाबालिग होते या दानसिंह अपनी खातेदारी में दर्ज करवाता इसी प्रकार यदि सजरा अनुसार खातेदारी दर्ज होती तो इन खसरों में दानसिंह का नाम भी खातेदारी में आता, उक्त समस्त तथ्यों से यह साबित है कि अपीलांटगण द्वारा अपील में जो भी आधार लिये गये है वे सारे आधार मनघड़त व बेबुनियाद है। वक्त सेटलमेंट उभयपक्ष के नाम दर्ज खातेदारी से सबंधित समस्त खसरों का समग्ररूप में परीक्षण करने हेतु मामले में सुसंगत एवं सारभूत राजस्व रिकॉर्ड को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित है। अतः रेस्पोडेंट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के तहत ग्रहण करने के आदेश दिये जाते है और प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने हेतु रेस्पोडेंट को अनुज्ञात किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। "अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि वादीगण द्वारा इस वाद में मात्र विभाजन की ही इस्तदुआ चाही गई है। यदि न्यायालय उक्त इस्तदुआ को स्वीकार करती है तो वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही उनकी सहायता में कोई रूकावट ही पैदा होगी।"यदि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा के वाद में न्यायालय द्वारा डिक्री प्रदान की जाती है तो भी विभाजन के इस वाद में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा के वाद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से न्यायालय हाजा पूर्णतया सहमत है। उक्त दोनों एक वादों में विवाद्यक समान नहीं है तथा इस्तदुआ भी एक समान नहीं है। दावा घोषणा का है जबकि अपीलाधीन निर्णय वाला दावा केवल धारा अन्तर्गत 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत था। हस्तगत अपील के अधीन निर्णय में विभाजन के संबंध में जारी प्राथमिक डिक्री से संबंधित है तथा वाद संख्या 15/2014 में दावा घोषणा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विवाद्यक बिंदु ही पृथक हैं। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों दावे पृथक–पृथक एवं स्वतंत्र इस्तदुआ और विवाद्यकों से संबंधित है। हस्तग पत्रावली में आलोच्य निर्णय में कोई विवाद्यक नही है क्योंकि इसमें मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सों के अनुरूप जोत विभाजन होना है।

इसके अलावा अपीलांट ने अपने अपील मीमो के पद संख्या 03 में अंकित किया है कि "वक्त सेटलमेंट के समय भू–राजस्व अधिकारियों से दानसिंह पुत्र कोजराजसिंह ने मिलावट कर अपना नाम 1/2 हिस्से में और अपीलांटगण के पूर्वज माधुसिंह व जवारसिंह पिसरान अचलसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज करवा दिया जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गलत दर्ज करवा दिया" जो कि उनकी लिखित बहस में अंकित तथ्य "वक्त सेटलमेंट के समय भू-राजस्व अधिकारियों से दानसिंह पुत्र कोजराजसिंह ने मिलावट कर अपना नाम 2/3 हिस्से में और अपीलांटगण के पूर्वज माधुसिंह व जवारसिंह पिसरान अचलसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज करवा दिया जो गलत दर्ज करवा दिया" से संगत नहीं है। अपील मीमों तथा लिखित बहस में उल्लिखित कथन पूर्णतया भिन्न-भिन्न कथन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को कब्जा काश्त एवं बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन घोषणा के वाद में अपीलांटगण को अपना अभिवचन/दावा सिद्ध करने का स्वतंत्र एवं पूर्ण अवसर उपलब्ध है। उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2014 बअनवान वालसिंह वगैरा बनाम हमीरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.03.2019 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

15/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner